करना चाहा तथा ... भारत-विभाजन की योजना की स्वीकृति ... इस योजना के अनुसार, ... 15 अगस्त 1947 निर्धारित कर दी गई। ... योजना प्रकाशित कराई।

23. भारत-स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (The Indian Independence Act, 1947)—माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को **भारत-स्वतंत्रता अधिनियम** पारित कर दिया। इस अधिनियम के संबंध में प्रधानमंत्री **एटली** ने कहा, "इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए विस्तृत संविधान की व्यवस्था नहीं की गई। यह ऐसा अधिनियम है जो भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपना-अपना संविधान निर्मित करने की क्षमता प्रदान करता है।" इस अधिनियम द्वारा

(i) भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों का जन्म हुआ।

(ii) नए संविधान निर्माण तक दोनों राज्यों में ब्रिटिश सम्राट की ओर से नियुक्त एक-एक गवर्नर-जनरल रखने की व्यवस्था की गई।

(iii) गवर्नर-जनरल का पद केवल आलंकारिक रखा गया।

(iv) 15 अगस्त 1947 के बाद देशी राज्यों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई और उनके साथ हुई संधियाँ अपने-आप समाप्त हो गईं।

(v) विभिन्न देशी राज्यों को दो में से किसी एक राज्य में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई।

(vi) भारत और पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों को अपनी इच्छानुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने या उससे संबध-विच्छेद करने का अधिकार प्रदान किया गया।

(vii) मंत्रिमंडल मिशन के अंतर्गत बैठाई गई संविधान सभा भी देश-विभाजन के बाद दो भागों में बँट गई।

(viii) दोनों राज्यों के मंत्रिमंडलों को अपने-अपने राज्य के गवर्नर-जनरल के मनोनयन का अधिकार सौंपा गया।

(ix) भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया।

(x) संविधान सभाओं को अपने-अपने अधिराज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया।

(xi) पंजाब और बंगाल में सीमा-निर्धारण का कार्य एक सीमा-आयोग के जिम्मे सौंपा गया।

> भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक भारतीय संविधान (जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया) 1600 से 1947 तक की विभिन्न व्यवस्थाओं और संघर्षों की देन है। 1947 का भारत-स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे 'डोमिनियन संविधान' भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के संविधान निर्माण तक संविधान-विकास का अंतिम चरण था। यह 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक कार्यान्वित रहा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संविधान भारत में लागू किया गया, वह भारत को पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभुतासंपन्न राष्ट्र के रूप में देखता है। अतएव, यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारतीय संविधान निर्मित होने के साथ-साथ विकसित भी है।

भारतीय संविधान के स्रोत

(Sources of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों का सहारा लेकर अपने संविधान का निर्माण किया—

1. 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव (Influence of the Government of India Act, 1935)

प्रायः यह कहा जाता है कि संविधान अपने सीमित अर्थ में 1935 के **भारत सरकार अधिनियम** का संशोधित रूप है। **डॉ० जेनिंग्स** ने कहा है, "संविधान के अधिकांश उपबंध वस्तुतः 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं।"

Scanned with CamScanner

दुर्गादास बसु ने भी कहा है, "भारतीय संविधान के प्रायः पचहत्तर प्रतिशत उपबंध 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं।" **प्रो० श्रीनिवासन** के अनुसार, "भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है।" **रॉबर्ट हाड्ग्रेव** के अनुसार, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रायः 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो अक्षरशः ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर दिया गया है।"

1935 के **भारत सरकार अधिनियम** से हमारा संविधान इसलिए प्रभावित लगता है कि (i) दोनों का स्वरूप संघात्मक है; (ii) दोनों में ही संसदीय शासन-पद्धति की व्यवस्था की गई है; (iii) 1935 के अधिनियम की तरह ही केंद्र तथा राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है; (iv) 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जोड़े गए हैं। लेकिन, इन समानताओं के बावजूद हमारा संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बिलकुल नकल नहीं है, वरन हमारा नवीन संविधान विभिन्न प्रावधानों की दृष्टि से उससे बहुत भिन्न है।

2. विदेशी संविधानों का प्रभाव (Influence of Foreign Constitutions)

हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न शासन-विधानों के गुण-दोषों का विश्लेषण किया और उनके अच्छे सिद्धांतों को अपने संविधान में स्थान दिया। भारतीय संविधान पर कई संविधानों का स्पष्ट प्रभाव है—

(क) ब्रिटिश संविधान का प्रभाव (Influence of the British constitution)—भारतीय संविधान का समस्त संसदीय तौर-तरीका ब्रिटिश संविधान की देन है। ब्रिटिश सम्राट की तरह भारत के राष्ट्रपति को भी सांविधानिक प्रधान बनाया गया है।

(ख) अमेरिकी संविधान का प्रभाव (Influence of the American constitution)—भारतीय संविधान के अनेक उपबंधों पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव दीख पड़ता है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की स्थिति और संशोधन-प्रक्रिया-संबंधी उपबंध बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (preamble) पर अमेरिकी 'स्वतंत्रता की घोषणा' की स्पष्ट छाप है।

> जब भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माता ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों से प्रभावित होकर उनकी अच्छाइयों को अपने में समाहित कर लिए तब तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा संविधान विश्व के संविधानों की नकलमात्र है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं?

(ग) आयरिश संविधान का प्रभाव (Influence of the Irish constitution)—भारतीय संविधान में उपबंधित 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व' स्पष्ट तौर पर **आयरलैंड** के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबद्ध निर्वाचक मंडल (electoral college) और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाजसेवा के क्षेत्रों में प्रसिद्धि-प्राप्त नागरिकों का नामांकन भी **आयरलैंड** के संविधान की देन है।

(घ) आस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव (Influence of the Australian constitution)—भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध इत्यादि तथ्यों पर आंस्ट्रेलिया के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है।

(ङ) कनाडा के संविधान का प्रभाव (Influence of the Canadian constitution)—कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था अपनाई है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) संघीय सरकार के जिम्मे सुपुर्द की है।

(च) जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों का प्रभाव (Influence of the constitutions of Japan and South Africa)—संविधान के अंतर्गत 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (procedure established by law) शब्द जापानी संविधान से लिया गया हैं और संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है।

पूर्वकथित तथ्यों के आलोक में बहुत-से आलोचकों ने भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव का गंभीर दोषारोपण किया है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल है। उन्होंने भारतीय संविधान को 'भानुमती के पिटारे की तरह गड़बड़' (hotch-potch) या 'वर्णसंकर' (hybrid) कहकर पुकारा है। एक अन्य विद्वान ने इसे 'कैंची

Scanned with CamScanner

1. 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव
2. विदेशी संविधानों का प्रभाव—
   (क) ब्रिटिश संविधान का प्रभाव
   (ख) अमेरिकी संविधान का प्रभाव
   (ग) आयरिश संविधान का प्रभाव
   (घ) आस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव
   (ङ) कनाडा के संविधान का प्रभाव
   (च) जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव
3. सांविधानिक कानून—
   (क) भारतीय गणतंत्र का संविधान
   (ख) कानून, नियम, विनियम, आर्डिनेंस तथा आदेश
   (ग) न्यायिक निर्णय
4. सांविधानिक लेखकों एवं वकीलों के विचार
5. संविधान सभा के वाद-विवाद
6. ब्रिटिश संविधान के नियम
7. अभिसमय
8. पूर्व संविधान

और गोंद का खिलवाड़' (result of scissors and paste) कहा है। इस संदर्भ में ही इसे 'वकीलों का स्वर्ग' (layers' paradise) कहा गया है।

उपर्युक्त आलोचनाओं पर जब हम विचार करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि विश्व के विभिन्न संविधानों से भारतीय संविधान प्रभावित है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने आँख मूँदकर उनकी नकल नहीं की है। विश्व के विभिन्न संविधानों में जो चीजें उन्हें उपयोगी और उचित लगीं, उन्हें ही उन लोगों ने ग्रहण किया है। दूसरों से अच्छी चीजें ग्रहण करना आलोचना का विषय नहीं हो सकता। चूँकि भारतीय संविधान सभा को तत्कालीन परिस्थितियों पर काबू पाना था इसलिए इससे अच्छा संविधान और कुछ नहीं हो सकता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न संविधानों के अनुभवों से लाभ उठाकर भारत का कल्याण ही किया। इस संबंध में **ग्रेनविल ऑस्टिन** ने ठीक ही कहा है, "1947 में नए सांविधानिक सिद्धांतों को खोजना संविधान सभा के लिए मुश्किल तथा असंभव था।" विश्व के देशों के संविधानों से विभिन्न अच्छे तत्त्वों को लेने के संबंध में **डॉ० राजेंद्र प्रसाद** ने भी कहा, "यदि हम ऐसा नहीं करते तो शायद अपने अहं की संतुष्टि करते, भारत की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते।"

3. सांविधानिक कानून (Constitutional Law)

किसी भी देश में सांविधानिक कानूनों का सबसे ऊँचा स्थान होता है। इसके आधार पर ही देश की शासन-व्यवस्था का संचालन होता है। साधारणतया भारत का लिखित संविधान ही भारत का सांविधानिक कानून कहलाता है। लेकिन, सच पूछिए तो लिखित संविधान सांविधानिक कानून का एक अंग है। भारत में सांविधानिक कानून के विभिन्न अंग हैं—

(क) भारतीय गणतंत्र का संविधान (Constitution of the Republic of India)—भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ है। यह एक विशाल लेख है जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज भी इसका विकास संशोधन की प्रक्रिया द्वारा हो रहा है।

(ख) कानून, नियम, विनियम, आर्डिनेंस तथा आदेश (Statutes, rules, regulations, ordinances and orders)—भारतीय संविधान द्वारा केंद्रीय संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को विविध सांविधानिक विषयों पर कानून बनाकर व्यवस्था करने का अधिकार सौंपा गया है; जैसे—भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, राज्य में द्वितीय सदन की व्यवस्था, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन इत्यादि। अतएव, सांविधानिक कानून के संबंध में संसद के अधिकार का क्षेत्र काफी व्यापक है। भारतीय संसद को अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है; जो संसद तथा विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद कानून बन जाते हैं।

(ग) न्यायिक निर्णय (Judicial decisions)—न्यायिक निर्णय भी संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। न्यायिक निर्णय का तात्पर्य न्यायाधीशों के निर्णय से है। आधुनिक संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को सौंपा गया है।

Scanned with CamScanner

4. सांविधानिक लेखकों एवं वकीलों के विचार (Comments of Constitutional Jurists and Lawyers)

प्रमुख विधिशास्त्रियों और वकीलों के विचारों को प्रारंभ से ही संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। भारतीय संविधान पर विभिन्न देशी एवं विदेशी लेखकों ने अपनी टीकाएँ लिखी हैं। इनसे भारतीय संविधान को समझने में काफी सहायता मिलती है। इन टीकाओं में **ग्लेडहिल** की 'द रिपब्लिक ऑव इंडिया एंड द फंडामेंटल राइट्स' *(The Republic of India and the Fundamental Rights)*, **जेनिंग्स** की 'सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑव द कंस्टीट्यूशन ऑव इंडिया' *(Some Characteristics of the Constitution of India)*, **अलेक्जेंड्रोविच** की 'कंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया' *(Constitutonal Development in India)*, **चेतले** की 'द कंस्टीट्यूशन ऑव इंडिया' *(The Constitution of India)* तथा **डी० डी० बसु** की टीका का विशेष महत्त्व है।

5. संविधान सभा के वाद-विवाद (Debates of the Constituent Assembly)

संविधान सभा के वादविवादों को भी संविधान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। संविधान को समझने के लिए संविधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे संविधान निर्माताओं की सच्ची तथा वास्तविक इच्छाओं की जानकारी मिलती हैं।

6. ब्रिटिश संविधान के नियम (Rules of the British Constitution)

इसका प्रारूप ब्रिटिश संविधान में वर्णित है। यह उम्मीद की गई है कि इसके कार्यान्वयन के संबंध में ब्रिटिश संविधान में प्रचलित नियमों को स्वतः अपना लिया जाएगा। यद्यपि ये संविधान के अंग नहीं हैं, तथापि विभिन्न स्थानों पर इस संबंध में चर्चा कर दी गई है। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि जब तक भारतीय संसद संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में कोई नियम नहीं बना लेगी तब तक भारतीय सांसदों पर ब्रिटिश संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार ही लागू समझे जाएँगे।

> भारतीय संविधान के इन स्रोतों को देखने से आपको अब एहसास हो गया होगा कि हमारा संविधान एक विस्तृत आलेख है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें प्रत्येक बात को समाविष्ट करने का प्रयास किया है। क्या इससे हम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि हमारे संविधान के विकास में अलिखित परंपराओं, रीति-रिवाजों तथा सामाजिक अभिसमयों का भी योगदान है?

7. अभिसमय (Conventions)

अभिसमय ब्रिटिश संविधान का प्रमुख आधार है। ब्रिटेन में अभिसमयों के आधार पर ही शासन का संचालन होता है। लिखित संविधानों में भी रीति-रिवाज और परंपराएँ अपने-आप विकसित हो जाती हैं। भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है। इसके बावजूद, अन्य देशों की भाँति इसमें कुछ सांविधानिक परंपराओं का विकास हो गया है। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। यद्यपि ये परंपराएँ हैं, लेकिन इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि के संविधानों में भी अभिसमयों का काफी विकास हुआ है।

8. पूर्व संविधान (Previous Constitutions)

भारत के सांविधानिक कानून के अंग के रूप में पहले के सांविधानिक कानूनों का विशिष्ट स्थान है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित विभिन्न अधिनियमों के अलावा 1935 के अधिनियम तथा 1947 के **भारत-स्वतंत्रता अधिनियम** को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

संविधान सभा
(Constituent Assembly)

संविधान सभा की अवधारणा और अर्थ (Concept and Meaning of the Constituent Assembly)

लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत देश के नागरिकों को केवल शासन-संचालन का ही अधिकार नहीं रहता, बल्कि संविधान निर्माण का भी अधिकार रहता है। विश्व के सभी देशों के नागरिक अपने इस अधिकार का प्रयोग विशेष रूप से गठित संविधान सभा के माध्यम से करते हैं। अब प्रश्न यह है कि संविधान सभा क्या है? इसका विकास कैसे और क्यों हुआ? और, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? जहाँ तक संविधान सभा के विकास का प्रश्न है, यह विश्व की 17वीं एवं 18वीं सदियों की महान क्रांतियों की देन है। इसकी अवधारणा के पीछे किसी देश की सदियों का संघर्ष छिपा हुआ है। जहाँ तक इसके आधार का प्रश्न है, यह सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार, लोकप्रिय संप्रभुता तथा सामान्य इच्छा के सिद्धांतों में पाया जाता है।

संविधान सभा क्या है? (What is Constituent Assembly?)—साधारणतः संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। यह किसी भी देश तथा राज्य के नागरिकों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक संगठन है। 'इनसाइक्लोपीडिया ऑव सोशल साइंसेज' (*Encyclopaedia of Social Sciences*) में संविधान सभा का अर्थ बताते हुए कहा गया है, "यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नए संविधान पर विचार करने और अपनाने तथा विद्यमान संविधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए चुना जाए।" स्वर्गीय प्रधानमंत्री **पंडित जवाहरलाल नेहरू** के अनुसार, "यह एक गतिमान राष्ट्र है, जो अपने अतीत के आवरण को उतारकर अपने लिए नए परिधान की रचना करता है। यह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का कार्यरत जनसमूह है। अतः, इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्त्व है।"[1]

भारत में संविधान सभा का विकास (Evolution of the Constituent Assembly in India)

जहाँ तक भारत में संविधान सभा के विकास का प्रश्न है, इसका विकास राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनों से ही हुआ। 1906 में **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने भारत के लिए जिस स्वराज्य की माँग की उसमें भी संविधान सभा के विचार निहित थे। 1922 में महात्मा गाँधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। इसके साथ ही संविधान सभा के विचार 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की माँगों में तथा 1934 के **स्वराज पार्टी** के आत्मनिर्णय-संबंधी प्रस्तावों में दीख पड़ते हैं। 1934 के पटना तथा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने **स्वराज पार्टी** की माँगों का समर्थन किया और 1940 तथा 1941 के अधिवेशनों में कांग्रेस द्वारा ऐसे ही प्रस्ताव पारित किए गए। पुनः 1940 में तत्कालीन वायसराय **लॉर्ड लिनलिथगो** की उद्घोषणा में तथा 1942 के **क्रिप्स प्रस्तावों** में भी संविधान सभा की बातें कही गईं। जब 'भारत छोड़ो' आंदोलन का प्रारंभ हुआ तब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस संबंध में अगला कदम 16 मई 1946 को **कैबिनेट मिशन योजना** के अंतर्गत उठाया गया। इस मिशन ने संविधान सभा की रचना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन **भारत-स्वतंत्रता अधिनियम** (1947) में किया गया। इस अधिनियम ने देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दोनों के लिए अलग-अलग संविधान सभा की व्यवस्था की।

संविधान सभा का निर्माण (Formation of the Constituent Assembly)

संविधान सभा के अस्तित्व में आने के पूर्व भारत में ऐसी संविधान सभा की माँग उठ चुकी थी। इसकी प्रतिध्वनि हमें संविधान सभा के अध्यक्ष **डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद** के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई पड़ती है। राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** के कथन को याद करते हुए डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि स्वराज का अर्थ है जनता के द्वारा स्वतंत्र ढंग से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उन्होंने कहा था, "...देश में राजनीतिक रूप से

1. "A nation on the move, throwing the shells of its past, fashioning for itself a new garment of its own making. It means the mass of a country in action through their elected representatives. It has, therefore, a definite revolutionary significance."
—JAWAHARLAL NEHRU

Scanned with CamScanner

जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका था।" कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जुलाई 1946 में संविधान सभा की रचना के लिए निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के लिए निम्नलिखित तथ्य थे—

1. प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा गया।
2. इनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर हुआ।
3. निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, वरन प्रांतीय विधानमंडलों को ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दियां गया।

संविधान सभा के कुल सदस्यों में से, प्रांतों के लिए निर्धारित 292 सदस्यों का ही निर्वाचन कराया गया। भारतीय रियासतों के लिए निर्धारित 93 सीटों का निर्वाचन नहीं कराया गया। निर्वाचन में कांग्रेस ने 205 स्थान प्राप्त किए, मुस्लिम लीग को कांग्रेस से कम स्थान मिले तथा शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए।

चूँकि संविधान सभा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी इसलिए उसकी सबल स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग के नेता न केवल निराश हुए, वरन संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय भी कर लिया। उन्होंने यह माँग रखी कि पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए एक पृथक संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में मुस्लिम लीग के नेताओं को काफी समझाया-बुझाया, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए। इसके बावजूद, संविधान सभा पर सांप्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ाया जा सका, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस सबल स्थिति में थी, साथ-साथ बड़े-बड़े हिंदू नेताओं—जवाहरलाल नेहरू और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद—के ओजस्वी व्यक्तित्व ने विरोधी तत्त्वों को समाप्त करने मे सराहनीय कार्य किया। मौलाना अबुलकलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। संविधान सभा में ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से निर्वाचित अवश्य हुए थे। इन विद्वान सदस्यों में डॉ॰ अंबेदकर, ए॰ के॰ अय्यर, एन॰ जी॰ आयंगर, के॰ संथानम, एम॰ आर॰ जयकर, डॉ॰ राधाकृष्णन्, के॰ टी॰ शाह, हृदयनाथ कुंजरू इत्यादि प्रमुख थे। इसलिए संविधान सभा में एक दल तथा एक विचार के सदस्यों की तानाशाही नहीं थी। **के॰ एम॰ मुंशी** ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, "शायद ही जनमत का कोई ऐसा पक्ष हो जिसे संविधान सभा में स्थान प्राप्त न हो।"

संविधान सभा का कार्यकरण (Working of the Constituent Assembly)

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे दिन में नई दिल्ली के वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष **आचार्य कृपलानी** ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए सबसे वयोवृद्ध सदस्य **डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा** का नाम प्रस्तावित किया। डॉ॰ सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में **डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद** को 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया। इसके 11 अधिवेशन और 166 दिन बैठकें हुईं।

इसका कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए 15 समितियाँ नियुक्त की गईं। इन 15 समितियों में 8 समितियाँ काफी महत्त्वपूर्ण थीं। इन विभिन्न समितियों से निश्चित रूप में सामग्री प्राप्त हुई, लेकिन **प्रारूप समिति** (drafting committee) ने संविधान को अंतिम स्वरूप दिया। इस समिति के अध्यक्ष डॉ॰ अंबेदकर थे। एन॰ गोपालस्वामी आयंगर, के॰ एम॰ मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मुहम्मद सादुल्लाह, सर बी॰ एल॰ मित्र तथा डी॰ पी॰ खेतान (जिनके स्थान पर बाद में टी॰ टी॰ कृष्णमाचारी आ गए) प्रारूप समिति के अन्य प्रमुख सदस्य थे। चूँकि डॉ॰ अंबेदकर ने प्रारूप समिति में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' (father of the Indian constitution) कहा गया है।

21 फरवरी 1948 के दिन संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। इस प्रारूप पर संविधान सभा ने पहली बार 4 नवंबर 1948 से विचार-विमर्श करना शुरू किया जो 9 नवंबर तक चलता रहा और इस प्रकार प्रथम वाचन समाप्त हुआ। संविधान सभा के द्वितीय वाचन में प्रारूप की धाराओं पर खुलकर विचार-विमर्श हुआ। यह कार्य 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। प्रारूप के तृतीय वाचन के लिए संविधान सभा की बैठक पुनः 14 नवंबर 1949 को हुई और 26 नवंबर को तृतीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान सभा के अध्यक्ष **डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद** ने 26 नवंबर 1949 को उस संविधान-प्रारूप पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार संविधान को पारित किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 3 जून 1947 की **माउंटबेटेन योजना** के अनुसार देश-विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान

Scanned with CamScanner

चित्र 2.1

सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को इनमें से सिर्फ 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।

इस प्रकार, देश-विभाजन के फलस्वरूप उपजी हिंसा के बीच संविधान निर्माण का कार्य हुआ। इसके बावजूद, संविधान निर्माताओं ने काफी धैर्य का परिचय देते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें नागरिकता की एक नई अवधारणा रखी गई। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उनकी धार्मिक पहचान तथा नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संविधान सभा की सत्ता (The Authority of the Constituent Assembly)

भारत की संविधान सभा की सत्ता सिर्फ इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह आमतौर पर सबका प्रतिनिधित्व करती थी। यद्यपि भारत की संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, फिर भी संविधान सभा को ज्यादा से ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने का प्रयास किया गया। इसमें सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा, इसमें उन दिनों के अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। वैसे तो संविधान सभा में कांग्रेस को 82 प्रतिशत सीटें प्राप्त थीं, फिर भी कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के लोग थे। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार-विमर्श की जड़ में छुपे मूल्य संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता के आधार बने। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श किया। सदस्यों में मतभेद के बावजूद अपने निजी हितों को संविधान का आधार नहीं बनाया। उनके मतभेद वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। संविधान सभा में सदस्यों के बीच काफी विचार-विमर्श हुए। उदाहरण के लिए; भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? विभिन्न संघीभूत राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? न्यायपालिका की कौन-सी शक्तियाँ होनी चाहिए? लगभग उन तमाम विषयों पर, जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं, संविधान सभा में गहराई पूर्वक विचार-विमर्श हुआ। संविधान सभा में सिर्फ एक ही ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद-विवाद के पारित हो गया। यह सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान था जिसका तात्पर्य धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मतदान का अधिकार होगा। चूँकि संविधान सभा सार्वजनिक हित का काम कर रही थी इसलिए यह इसकी असली ताकत थी। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले लोकमत में हों और संविधान का कोई भी प्रावधान किसी विशेष हित-समूह के पक्ष में न हो।

राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत (Inheritance of the Nationalist Movement)

भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से कार्य ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में स्थान देना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही इन सिद्धांतों पर आम सहमति बन गई थी। संविधान सभा सिर्फ उन सिद्धांतों को मूर्त रूप दे रही थी जो उसे स्वाधीनता आंदोलन से विरासत में मिले थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही सरकार के स्वरूप और संरचना पर चर्चा प्रारंभ हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सारांश **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' में मिलता है। इसके अंतर्गत संविधान सभा

Scanned with CamScanner

के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था तथा संविधान की सभी आकांक्षाओं तथा मूल्यों को समाहित किया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता आदि को संस्थागत रूप दिया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

1. भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है।
2. भारत ब्रिटेन के अधिकार-क्षेत्र में आनेवाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का एक संघ होगा।
3. संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई।
4. संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की सभी शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है।
5. भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता एवं कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मूल स्वतंत्रता की गारंटी तथा सुरक्षा दी जाएगी।
6. अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
7. गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी।
8. विश्वशांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूरा योगदान करेगा।

संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ (Difficulties before the Constituent Assembly)

संविधान सभा को भारतीय संविधान का निर्माण करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा—

1. जनसंख्या की विशालता तथा अनेकता (Vastness and diversity of population)—भारत की जनसंख्या की विशालता तथा विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों तथा संस्कृतियों की अनेकता संविधान सभा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी। संविधान सभा इन तमाम लोगों को एक सूत्र में बाँधकर भौगोलिक दृष्टि से एकता स्थापित करना चाहती थी।

2. सांप्रदायिकता (Communalism)—चूँकि सांप्रदायिक दृष्टि से भारत जल रहा था इसलिए संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न एक विकट समस्या थी। ब्रिटिश सरकार ने 'फूट डालो और शासन करो' (divide and rule) की नीति अपनाकर भारत को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया था। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में भ्रातृत्व (fraternity) की भावना समाप्त हो गई थी। इससे पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था और इससे बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तथा सुरक्षा-संबंधी कठिनाइयाँ संविधान सभा के सामने उपस्थित हो गई थीं।

3. देशी राज्यों की समस्या (Problem of the native states)—संविधान सभा के सामने देशी राज्यों की समस्या भी बड़ी विकट थी। यदि हम कहें कि यह संविधान निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1947 के **भारत-स्वतंत्रता अधिनियम** के कारण भारतीय देशी राज्यों से ब्रिटिश संप्रभुता (paramountcy) का अंत हो गया था और देशी राज्यों को यह निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया था कि वे स्वतंत्र रहें या किसी एक उपनिवेश (भारत या पाकिस्तान) में सम्मिलित हो जाएँ। इस विकट समस्या से देश की बहुत बड़ी बरवादी होती, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लगभग 565 देशी राज्य थे। यदि वे देशी राज्य स्वतंत्र होने का निर्णय कर लेते तो देश विभिन्न भागों में बँट जाता और भारतीय स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं होता।

4. संघ तथा इकाइयों के पारस्परिक संवंध की समस्या (Problem of mutual relationship between union and units)—संविधान सभा के सामने एक अन्य विकट समस्या संघ तथा विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों का निश्चय करना था।

Scanned with CamScanner

5. अन्य कठिनाइयाँ (Other difficulties)—संविधान सभा के समक्ष पिछड़ी तथा आदिम जातियों एवं विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों की उन्नति के लिए भी साधन उपलब्ध करना था। इन विभिन्न वर्गों के अधिकारों एवं स्वार्थों की सुरक्षा की व्यवस्था संविधान निर्माताओं पर ही सौंपी गई थी।

आलोचनाएँ (Criticisms)

संविधान सभा के संगठन तथा कार्यकरण की आलोचनाएँ निम्नलिखित रूपों में रखी जा सकती है—

1. सच्ची प्रतिनिधि-संस्था नहीं (Not a true representative body)—आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा सच्ची प्रतिनिधि-संस्था नहीं थी। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा में एकमात्र कांग्रेस दल का एकाधिपत्य था। लेकिन, इस आलोचना में कोई दम नहीं है, क्योंकि संवधिान सभा में सभी वर्गों, जातियों, हितों एवं राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

2. विधिवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका (Important role of the lawyers)—आलोचकों का यह भी कहना है कि संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका विधिवेत्ताओं ने ही निभाई। यह भी कहा जाता है कि बहुत-से संशोधन-प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखे ही नहीं गए तथा विभिन्न उपबंधों पर पूर्णरूप से विचार नहीं किया गया।

3. कांग्रेस की तानाशाही (Dictatorship of the Congress)—यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा के अंतर्गत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का ही बोलबाला था और वे पहले ही संविधान के प्रमुख उपबंधों पर निर्णय कर लिया करते थे और उन्हीं निर्णयों की संपुष्टि बाद में संविधान सभा द्वारा होती थी। पं॰ नेहरू तथा डॉ॰ अंबेदकर को संविधान-निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यही कारण था कि डॉ॰ अंबेदकर को 'संविधान का जनक' कहा जाता है। **ग्रेनिवल ऑस्टिन** ने कहा है, "एकदलीय देश में संविधान सभा निश्चित रूप से एकदलीय संस्था थी।" लेकिन, आलोचकों का यह तर्क भी तथ्यहीन है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य देश के लोकप्रिय नेता थे। **डॉ॰ के॰ वी॰ राव** ने इस संबंध में लिखा है, "संविधान में एक भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो अन्य राजनीतिक दलों की कीमत पर कांग्रेस दल का समर्थन करता हो।"

> इससे क्या आपको स्पष्ट नहीं होता कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के अथक प्रयास से हुआ? जितनी विभिन्न कठिनाइयाँ और समस्याएँ संविधान सभा के सामने मौजूद थीं, उनको ध्यान में रखते हुए जिस तरह के संविधान का इसने निर्माण किया, वह काफी सराहनीय है। तत्कालीन परिस्थिति में इससे बढ़कर और संविधान क्या हो सकता था? सभी वर्गों, संप्रदायों, दलों, आदिम तथा पिछड़ी जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों की उन्नति के लिए संविधान में काफी प्रावधान किए गए। उस समय का बना हुआ संविधान आज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन द्वारा परिवर्तित हो जाता है—इससे बढ़कर संविधान सभा की देन भारत की भावी संतानों के लिए और क्या हो सकती है?

4. संविधान सभा लोकप्रिय अनुशक्ति से रहित (Deprived of popular sanctions)—आलोचकों का यह भी कहना है कि संविधान सभा को लोकप्रिय अनुशक्ति प्राप्त नहीं थी तथा सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन नहीं हुआ था। विधान को लोकमत-संग्रह (referendum) द्वारा भी अनुसमर्थित नहीं कराया गया था। लेकिन, ये तर्क भी तथ्यहीन हैं, क्योंकि संविधान सभा के अंतर्गत सभी दलों, हितों तथा वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

(Preamble of the Indian Constitution)

विश्व के प्रत्येक देश के संविधान की अपनी **प्रस्तावना** होती है, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं के विचार एवं उद्देश्यों के साथ-साथ संविधान तथा देश के मौलिक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति रहती है। देश के आधारभूत दर्शन, मूल आस्थाएँ तथा नागरिकों की आकांक्षाओं का स्पष्टीकरण प्रस्तावना-रूपी आईने में होता है। अतएव, **प्रस्तावना** संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान की तरह अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, चीन, जापान इत्यादि देशों के संविधानों की प्रस्तावनाएँ भी अपने-अपने विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट करती हैं।

Scanned with CamScanner

प्रस्तावना का महत्त्व (Significance of the Preamble)

प्रस्तावना का महत्त्व स्पष्ट करते हुए **मैक्सवेल** ने लिखा है, "किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसका अर्थ समझने का अच्छा साधन है, वह उसको समझने की कुंजी है।" यदि हम यह कहें कि संविधान की प्रस्तावना उस उद्देश्य की पूर्ति करती है जो किसी पुस्तक की प्रस्तावना करती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। **प्रस्तावना** ही संविधान के तमाम मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का दर्पण होती है। प्रस्तावना-रूपी दर्पण में संविधान की आत्मा को खोजा और देखा जा सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश **स्टोरी** ने **प्रस्तावना** के संबंध में ठीक ही कहा है, "संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है कि ये उसके द्वारा किन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और सांविधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं।" जहाँ तक भारतीय संविधान की **प्रस्तावना** का प्रश्न है, वह अद्भुत एवं अद्वितीय है। यह समस्त संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना के संबंध में **जी० एन० जोशी** ने लिखा है, "प्रस्तावना, जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोत, आदर्श, लक्ष्य, राजनीतिक ढाँचे इत्यादि की उद्घोषणा करती है।" प्रस्तावना के महत्त्व हैं—

1. प्रस्तावना में सांविधानिक स्रोतों की झलक (Reflection of constitutional sources in the Preamble)—आयरलैंड और अमेरिका के संविधानों की तरह भारतीय संविधान का निर्माण भी यहाँ की जनता ने ही किया है। प्रस्तावना में कहा गया है, "हम भारत के लोग...संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" इससे स्पष्ट है कि भारत की जनता में ही वास्तविक संप्रभुता निवास करती है। अतः, **डॉ० अंबेदकर** ने ठीक ही कहा है, "मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुए हैं।"

2. प्रस्तावना में 'संपूर्णप्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' की उद्घोषणा (Declaration of Sovereign Democratic Republic in the Preamble)—भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदघोषणा की गई है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक 'संपूर्णप्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' की स्थापना की है। 'संपूर्णप्रभुत्वसंपन्न' का यह तात्पर्य है कि भारत एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिसके ऊपर भारत की सीमा में कोई दूसरी सत्ता नहीं है। 'लोकतंत्रात्मक' शब्द का प्रयोग प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के संदर्भ में किया गया है, अर्थात ऐसी सरकार जो जनता की हो और जनता द्वारा जनता की भलाई के लिए संचालित होती हो। इसके अंतर्गत नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। जहाँ तक प्रस्तावना में 'गणराज्य' (Republic) शब्द के प्रयोग का प्रश्न है, सामान्य अर्थ में यह राजतंत्र (monarchy) का विपरीतार्थक है। 'गणराज्य' का अर्थ है—वह शासन-पद्धति जिसमें 'गण' (collegial organisation) द्वारा शासन संचालित होता है। अर्थात, राज्य के सभी नागरिकों को—योग्यता रहने पर—सभी छोटे-बड़े पदों पर पहुँचने का अधिकार है, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक आवश्यक योग्यता होने पर भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है।

> भारतीय संविधान की **प्रस्तावना** उन पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों की उद्घोषणा है जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वे उस राजनीतिक ढाँचे के द्वारा जिसे उन्होंने जानबूझकर रखा है, प्राप्त करना चाहते हैं।" **पालंदे** की इस उक्ति की विवेचना अपने देश के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में किजिए।

3. प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों का परिचय (Introduction of constitutional ideals and objectives in the Preamble)—भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की आकांक्षाओं तथा भावनाओं की झलक मिलती है। 1931 में महात्मा गाँधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तब संवाददाताओं से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा था, "मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूँगा जो भारत को सब तरह के दासत्व और आश्रय से मुक्त कर दे।" भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, भ्रातृत्व इत्यादि की स्थापना करना है।

4. प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की घोषणा (Declaration of Secularism in the Preamble)—संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उपस्थित करती है। अर्थात, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और कहा गया है कि राज्य की ओर से धर्म पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।

Scanned with CamScanner

5. प्रस्तावना में गाँधीवाद और मार्क्सवाद का सामंजस्य (Co-ordination of Gandhism and Marxism in the Preamble)—गाँधी और मार्क्स दोनों ने जातिगत तथा वर्णगत भेदभाव की समाप्ति चाही है। दोनों ने समानता और 'राज्य विहीन समाज' के पक्ष में अपना नारा दिया है। जहाँ गाँधीजी ने संपत्ति को ईश्वर की देन माना है वहाँ मार्क्स ने बताया है कि संपत्ति सामूहिक श्रम का प्रतिफल है। इसलिए, दोनों में आधारभूत अंतर है, फिर भी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन दोनों विचारधाराओं के आदर्शों का बहुत ही सुंदर समन्वय किया है।

प्रस्तावना के स्रोत (Sources of the Preamble)

हमें विचार करना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रभावित करनेवाले कौन-से स्रोत रहे हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना की भाषा 'ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम' (British North America Act) के अनुरूप ढाली गई है। जहाँ-तहाँ आस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना से भी भाव एवं भाषा ग्रहण किए गए हैं। लेकिन, इससे भी अधिक प्रेरणा प्रस्तावना को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा विभिन्न कालों में कांग्रेस द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों से मिली है। संविधान की प्रस्तावना में महात्मा गाँधी के वैचारिक आदर्शों को बिलकुल ढाला गया है। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जाते समय संवाददाताओं ने **गाँधीजी** से पूछा था कि लंदन से **आप भारत के लिए किस प्रकार का संविधान लेकर आना पसंद करेंगे।** इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राष्ट्रपिता ने अपने आदर्शों का सच्चा रूप प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान की प्रस्तावना में बिलकुल उतार दिया गया है। इसके अलावा, प्रस्तावना पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (objective resolution) का भी स्पष्ट प्रभाव है। यह 'उद्देश्य प्रस्ताव' जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अभिव्यक्त किया था। इसमें भारतीय जनता के आदर्शों की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसी 'उद्देश्य प्रस्ताव' की शब्दावली में कुछ हेर-फेर करके संविधान निर्माताओं ने इसे प्रस्ताव के रूप में अंगीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे—

1. भारत एक संप्रभु गणराज्य है।
2. भारत ब्रिटेन के अधिकार में आनेवाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों तथा देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो भारत के अंग बनना चाहते हैं, का एक संघ होगा।
3. संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी तथा उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई।
4. संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है।
5. भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी।
6. अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जनजातियों एवं दलितों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी।
7. गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा जल, थल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी।
8. विश्वशांति तथा मानव कल्याण के विकास हेतु देश स्वेच्छापूर्वक पूरा योगदान करेगा।

42वाँ सांविधानिक संशोधन-अधिनियम और प्रस्तावना
(The 42nd Constitutional Amendment Act and the Preamble)

42वें सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को **सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणराज्य** कहा गया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे **सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** कर दिया गया

> **42वें सांविधानिक संशोधन** द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? जब **जनता पार्टी** की सरकार ने 42वें **सांविधानिक संशोधन** के अधिकांश चीजों को पूर्ववत कर दिया तब किस कारण से प्रस्तावना में जोड़े गए नए शब्दों को नहीं हटाया गया? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और अपना उत्तर अपने वर्ग के सहपाठियों से विचार-विमर्श कर दीजिए।

Scanned with CamScanner

है। इसके अलावा, प्रस्तावना में प्रयुक्त **राष्ट्र की एकता** के स्थान पर **राष्ट्र की एकता और अखंडता** जैसे आकर्षक शब्दों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार, 'धर्मनिरपेक्षता', 'समाजवाद', राष्ट्रीय 'अखंडता' इत्यादि शब्दों को मूल प्रस्तावना में जोड़कर संविधान के मौलिक और अंतर्निहित उद्देश्यों को बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। चूँकि संविधान का उद्देश्य भारत में एक **समाजवादी** समाज की स्थापना करना रहा है, इसलिए प्रस्तावना में **समाजवादी** शब्द का उल्लेख कर दिया गया है। वैसे तो 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग लोकतंत्र में ही स्पष्ट हो जाता है, फिर भी प्रस्तावना में अलग से इसे स्पष्ट करके विश्व में भारतीय गणराज्य के लक्ष्यों को झलका दिया गया है, जहाँ तक 'अखंडता' शब्द के प्रयोग का प्रश्न है, कुछ निहित स्वार्थों के कारण भारत को विखंडित करने के यदाकदा जो प्रयास होते हैं उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान के 44वें संशोधन-अधिनियम में इस प्रस्तावना में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में कोई चर्चा नहीं है।

प्रस्तावना की व्याख्या (Explanation of the Preamble)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जब हम विचार करते हैं और उसके अंतर्निहित पहलुओं का विश्लेषण करते हैं तब कई तथ्य स्पष्ट होते हैं—

1. सांविधानिक स्रोत (Constitutional sources)—भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा सांविधानिक स्रोतों को स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तावना के प्रारंभ में ही कह दिया गया है कि संविधान के निर्माण करनेवाले हम भारत के लोग हैं। इससे स्पष्ट है कि संप्रभुता जनता में निहित है और समस्त भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से संविधान का निर्माण किया है। लेकिन, आलोचकों ने कहा है कि संविधान सभा में भारत के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान को जनता द्वारा निर्मित संविधान कैसे कहा जा सकता है? इसलिए **के० सी० वीयर** के अनुसार, "हम भारत के लोग, केवल कानूनी कल्पनामात्र है।" लेकिन, इस तर्क के बावजूद भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा ही हुआ माना जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में जिस ढंग से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, वही सर्वोत्तम तरीका था, इसलिए **डॉ० अंबेदकर** का यह कथन कि "इस संविधान का आधार जनता है", बिलकुल सही और न्यायसंगत है।

2. भारतीय शासन-व्यवस्था (Indian political structure)—संविधान की प्रस्तावना में भारत की नवीन शासन-व्यवस्था का वर्णन **संपूर्णप्रभुत्वसंपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य** इत्यादि शब्दों को लेकर किया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संविधान की मूल प्रस्तावना में **धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी** शब्द नहीं थे। इन्हें संविधान के 42वें संशोधन-अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त इन शब्दों को हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं—

(क) संपूर्णप्रभुत्वसंपन्न (Sovereign)

(ख) धर्मनिरपेक्ष (Secular)

(ग) समाजवादी (Socialist)

(घ) लोकतंत्रात्मक (Democratic)

(ङ) गणतंत्र (Republic)

अर्थात, प्रस्तावना में भारतीय शासन-व्यवस्था को सर्वसाधारण के लिए, सर्वसाधारण का तथा सर्वसाधारण द्वारा संचालित माना गया है।

3. सांविधानिक लक्ष्य (Constitutional objectives)—भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से **चार** आदर्शों को प्राप्त करने का संकल्प किया गया है—(क) **पहला आदर्श** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। सचमुच न्याय ही किसी संविधान का प्राण है, इसलिए प्रस्तावना में इसे समता और स्वतंत्रता से भी ऊपर रखा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में अनेक उपबंध किए गए हैं। (ख) **दूसरा आदर्श** स्वतंत्रता का सिद्धांत माना गया है। हमारे संविधान निर्माता सकारात्मक स्वतंत्रता के हिमायती थे और इसी आधार पर विभिन्न स्वतंत्रताओं को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। (ग) **तीसरा आदर्श** समानता है जो स्वतंत्रता की पूरक है। (घ) **चौथा आदर्श** भ्रातृत्व की भावना है। संविधान निर्माताओं ने भ्रातृत्व की भावना को फ्रांसीसी क्रांति के मानवीय अधिकारों के

Scanned with CamScanner

घोषणा-पत्र से ग्रहण किया है। मानव की गरिमा कायम करने तथा राष्ट्रीय एकता की भावना साकार करने के लिए 'भ्रातृत्व' शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावना में किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जिस 'अखंडता' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय एकता पर बल देना है।

4. संविधान को अंगीकार करने की तिथि (Adoption date of the Constitution)—भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। उस समय यह भी स्वीकार किया गया कि औपचारिक रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा और उसी निश्चय के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय संविधान के निर्माण एवं उद्देश्य संबंधी उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसके निर्माण के पीछे **ईस्ट इंडिया कंपनी** के शासन से लेकर वे सारे अधिनियम एवं शासनाधिकार जिम्मेवार रहे हैं जिन पर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान काफी बल दिया गया था। हमारे संविधान पर सिर्फ 1935 में 'भारत सरकार अधिनियिम' का ही प्रभाव नहीं पड़ा है, वरन ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, आस्ट्रेलियाई, कनाडियन, जापानी तथा दक्षिण अफ्रीका आदि अनेक देशों के संविधानों ने भी इसके अनेक उपबंधों को उत्प्रेरित किया है। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने अपने लंबे अनुभव के आलोक में ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आनेवाले दिनों में समयानुसार अपने को बदलता रहे। यही कारण है कि विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में हमारा संविधान अधिक स्थिर और टिकाऊ है। हमारे संविधान की **प्रस्तावना** में उन पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों की उद्घोषणा की गई है जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रखा है और भविष्य में भी प्राप्त करना चाहते हैं। इस दृष्टि से **प्रस्तावना** संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है।

Scanned with CamScanner

प्रश्नावली

♦ *वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)*

I. सही उत्तर का संकेताक्षर (यथा क, ख, ग या घ) लिखें।

1. भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है
   (क) 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार-अधिनियम का (ख) 1919 के भारत सरकार अधिनियम का
   (ग) 1935 के भारत सरकार अधिनियम का (घ) किसी का नहीं
2. भारतीय संविधान का निर्माण किया
   (क) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने (ख) लॉर्ड माउंटबेटन ने
   (ग) संविधान सभा ने (घ) डॉ॰ अंबेदकर ने
3. संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई
   (क) 9 दिसंबर 1946 को (ख) 16 मई 1946 को
   (ग) 15 अगस्त 1946 को (घ) 26 जनवरी 1950 को
4. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पद दिया गया
   (क) डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा को (ख) जवाहरलाल नेहरू को
   (ग) महात्मा गाँधी को (घ) किसी को नहीं
5. संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया
   (क) डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद को (ख) डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा को
   (ग) डॉ॰ अंबेदकर को (घ) सभी को
6. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
   (क) एन॰ गोपालस्वामी आयंगर (ख) के॰ एम॰ मुंशी
   (ग) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (घ) डॉ॰ अंबेदकर
7. किसको 'भारतीय संविधान का जनक' कहा जाता है?
   (क) जवाहरलाल नेहरू को (ख) महात्मा गाँधी को
   (ग) डॉ॰ अंबेदकर को (घ) डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा को
8. संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ थीं
   (क) विशालता तथा अनेकता की (ख) सांप्रदायिकता की
   (ग) देशी राज्यों की समस्या की (घ) इन सबकी
9. "एकदलीय देश में संविधान सभा निश्चित रूप से एकदलीय संस्था थी।" यह किसने कहा था?
   (क) ग्रेनविल ऑस्टिन ने (ख) डॉ॰ के॰ वी॰ राव ने
   (ग) डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने (घ) डॉ॰ अंबेदकर ने
10. "यह एक गतिमान राष्ट्र है, जो अपने अतीत के आवरण को उतारकर अपने लिए नए परिधान की रचना करता है। यह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का कार्यरत जनसमूह है।" यह किसने कहा था?
    (क) के॰ एम॰ मुंशी ने (ख) पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
    (ग) डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने (घ) महात्मा गाँधी ने

Scanned with CamScanner

11. "शायद ही जनमत का कोई ऐसा पक्ष हो जिसे संविधान सभा में स्थान प्राप्त न हो।" यह किसने कहा था?
   (क) के० एम० मुंशी ने (ख) डॉ० राधाकृष्णन ने
   (ग) डॉ० अंबेदकर ने (घ) महात्मा गाँधी ने
12. भारतीय संविधान का संसदीय रूप किसकी देन है?
   (क) ब्रिटेन की (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की
   (ग) श्रीलंका की (घ) आयरलैंड की
13. भारतीय संविधान के 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व' लिए गए हैं
   (क) आयरलैंड के संविधान से (ख) ब्रिटेन के संविधान से
   (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से (घ) किसी से नहीं
14. किस संविधान से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था अपनाई?
   (क) आस्ट्रेलिया के संविधान से (ख) कनाडा के संविधान से
   (ग) जापान के संविधान से (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
15. भारतीय संविधान लागू किया गया
   (क) 15 अगस्त 1947 को (ख) 26 जनवरी 1950 को
   (ग) 26 जनवरी 1930 को (घ) कभी नहीं
16. किस सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए?
   (क) 39वें सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा (ख) 42वें सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा
   (ग) 50वें सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा (घ) 53वें सांविधानिक संशोधन-अधिनियम द्वारा
17. भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है?
   (क) संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था।
   (ख) संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति थी।
   (ग) संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग दूसरे देशों से लिया गया है।
   (घ) उपर्युक्त सभी

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

1. भारतीय संविधान को ······ को लागू किया गया।
   (क) 26 जनवरी 1948 (ख) 26 जनवरी 1950
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर ······ का स्पष्ट प्रभाव है।
   (क) अमेरिकी 'स्वतंत्रता की घोषणा' (ख) सोवियत संघ की साम्यवादी दल
3. संविधान सभा के अध्यक्ष ······ थे।
   (क) डॉ० अम्बेदकर (ख) डॉ० राजेंद्र प्रसाद
4. ······ के दिन भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ।
   (क) 26 जनवरी 1948 (ख) 26 जनवरी 1950
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन ······ द्वारा किए गए।
   (क) 42वें सांविधानिक संशोधन (ख) 44वें सांविधानिक संशोधन
6. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष ······ थे।
   (क) डॉ० अंबेदकर (ख) डॉ० सच्चिदानद सिन्हा
7. 'भारत छोड़ो' आंदोलन ······ को बंबई में भारतीय कांग्रेस कमिटी ने प्रस्ताव लाकर किया।
   (क) 5 अगस्त 1942 (ख) 15 अगस्त 1946

III. सही/गलत का चयन करें।

1. 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा की बैठक हुई। (सही/गलत)

Scanned with CamScanner

2. 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। (सही/गलत)
3. भारतीय संविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' जापानी संविधान से लिया गया है। (सही/गलत)
4. 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू किया गया। (सही/गलत)
5. डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। (सही/गलत)
6. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की पहचान नहीं है। (सही/गलत)
7. 44वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। (सही/गलत)

IV. कॉलम 'अ' से कॉलम 'ब' का सही मिलान करें।

'अ'	'ब'
1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण	(क) 26 जनवरी 1950
2. भारतीय संविधान का क्रियान्वयन	(ख) डॉ॰ सच्चिदानंद सिन्हा
3. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष	(ग) 31 दिसंबर 1600
4. संविधान सभा के अध्यक्ष	(घ) डॉ॰ अंबेदकर
5. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष	(ङ) डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद
6. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री	(च) कनाडा का संविधान
7. संविधान की प्रस्तावना में संशोधन	(छ) कानून की उचित प्रक्रिया
8. भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था	(ज) 14 अगस्त 1947
9. अमेरिकी संविधान	(झ) जवाहरलाल नेहरू
10. पाकिस्तान का जन्म	(ञ) 42वाँ संशोधन अधिनियम

Scanned with CamScanner

• वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर •

I. 1. (ग) 2. (ग) 3. (क) 4. (क) 5. (क) 6. (घ) 7. (ग) 8. (घ) 9. (क) 10. (ख) 11. (क) 12. (क) 13. (क) 14. (ख) 15. (ख) 16. (ख) 17. (घ)

II. 1. (ख) 2. (क) 3. (ख) 4. (क) 5. (क) 6. (क) 7. (क)

III. 1. सही 2. सही 3. सही 4. सही 5. सही 6. गलत 7. गलत

IV. 1. (ग) 2. (क) 3. (ख) 4. (ङ) 5. (घ) 6. (झ) 7. (ञ) 8. (च) 9. (छ) 10. (ज)

Scanned with CamScanner